न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 148/2-19 निर्णय दिनांक :— 26.9-19

उनवान

1. काना पुत्र रामपाल
2. मन्नालाल पुत्र भगवान सहाय
3. छोटीलाल पुत्र भगवान सहाय
4. रामकुँवार पुत्र भगवान सहाय
5. हरिराम पुत्र स्व. कजोड
6. बाबूलाल पुत्र स्व. कजोड
7. दयाराम पुत्र स्व. कजोड
8. रामकेश पुत्र स्व. कजोड
9. पाँचूराम पुत्र स्व. कजोड

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम रलावता पोस्ट गरूडवासी ग्राम पंचायत ठीकरिया गूजरान तहसील कोटखावदा, थाना कोटखावदा जिला जयपुर।

---वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:07:33 IST
Reason: SelfAttested

---प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)

वाद–पत्र बाबत घोषणा व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 राज0 राज, भू–राजस्व अधिनियम 1956

वादीगण की ओर से वाद–पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया। वादीगण की कृषि भूमि ग्राम रलावता पोस्ट गरूडवासी ग्राम पंचायत ठीकरिया गूजरान तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें खाता संख्या पुराना 3 नया 16 में सम्पूर्ण कृषि भूमि कुल खसरा 58 एवं कुल क्षेत्रफल 12.75 है0 है जिसमें से खसरा नम्बरान 167 क्षैत्रफल 0.88 है0, 170 क्षेत्रफल 0.34 है0, 172 क्षेत्रफल 0.70 है0, 173 क्षैत्रफल 0.18 है0, है तथा वादीगण की उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि में वादीगण काबिज काश्त एवं निवास कर रहे है एवं वादीगण जमाबंदी में रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज है। वादीगण की उक्त कृषि भूमि ग्राम रलावता पटवार हल्का रलावता भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया गूजरान तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें खसरा नम्बरान 167, 170, 172, 173 के पुराने साबिक खसरा नम्बरान 42, 43 व 45 है। एकीकरण के समय राजस्व रिकार्ड में सहवन से राजस्व अधिकारियों द्वारा ग्राम रलावता के नक्शे में पुराने साबिक खसरा नम्बरान 42, 43 व 45 की सीमा में खसरा नम्बरान 168 क्षैत्रफल 0.28 है0, 169 क्षैत्रफल 0.63 है0 चारागाह को दर्शित कर दिया है। [illegible] खसरा नम्बरान 167 क्षैत्रफल 0.88 है0, 170 क्षैत्रफल 0.34 है0, 172 क्षैत्रफल 0.70 है0, 173 क्षैत्रफल

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:07:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

0.18 है0, के पुराने साबिक खसरा नम्बरान 42, 43 व 45 है। जिससे वादीगण के हिस्से की कृषि भूमि नक्शे में एवं मौके पर कम पड़ रही है तथा मौके पर पक्षकारान में विवाद की स्थिति निरन्तर बनी हुई है। जो कि नक्शे में गलत इन्द्राज होने के कारण नक्शा दुरुस्त किये जाने योग्य है। वादीगण के हिस्से की कृषि भूमि पुराने साबिक खसरा नम्बरान 42, 43 व 45 की सीमा में मौके पर वादीगण पुश्तैनी समय से काबिज काश्त है एवं बने हुये मकानात में निवास कर रहे है। मौके पर वादीगण वर्तमान में भी काबिज काश्त एवं निवास कर रहे है। मिलान क्षैत्रफल में सहवन से राजस्व अधिकारियो द्वारा ग्राम रलावता के वर्तमान नक्शे में पुराने साबिक खसरा नम्बर 42, 43 व 45 की सीमा में खसरा नम्बरान 168 क्षैत्रफल 0.28 है0, 169 क्षेत्रफल 0.63 है0 चारागाह को दर्शित कर प्रतिवादी की जमाबंदी में रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज कर दिया है। जो कि मिलान. क्षैत्रफल में दुरुस्त करके पुराने साबिक खसरा नम्बर 42, 43 व 45 के आधार पर वर्तमान खसरा नम्बरान 167, 170, 172, 173 में दर्ज कर वादीगण की जमाबंदी में खसरा नम्बरान 68 क्षैत्रफल 0.28 है0, 169 क्षैत्रफल 0.63 है0 चारागाह में से वादीगण के हिस्से की नक्शे में एवं मौके पर कम पड़ रही कृषि भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज कर घोषित किया जाना न्याय हित में कानूनन नितान्त आवश्यक है। एकीकरण के समय राजस्व रिकार्ड में सहवन से राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत इन्द्राज होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी की उक्त [illegible] कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाकर वादीगण की [illegible] में दुरुस्त किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:07:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

योग्य है। वादीगण की उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पुराने साबिक खसरा नम्बरान 42, 43 व 45 के आधार पर वर्तमान खसरा नम्बरान 167, 170, 172, 173 में राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करके घोषित किया जाना न्याय हित में कानूनन नितान्त आवश्यक है। प्रतिवादी वादीगण को मौके पर काबिज काश्त एवं निवास से जबरन बेदखल करने पर आमादा है इस कारण से वादीगण प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि ग्राम रलावता पटवार हल्का रलावता भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया गूजरान तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में स्थित होने के कारण मान्य न्यायालय को इस वाद–पत्र के सम्बंध में सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार हासिल है। वाद कारण दिनांक 18.06.2019 को रिकार्ड की नकले लेकर देखने पर जमाबंदी में एवं नक्शे में गलत इन्द्राज की जानकारी होने तथा प्रतिवादी द्वारा वादीगण को मौके पर काबिज काश्त से जबरन बेदखल करने पर आमादा होने से लेकर निरन्तर जमाबंदी में एवं नक्शे में दुरूस्ती होने तक अनवरत प्रारम्भ होकर निरन्तर जारी है। अन्दर मियाद और उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। वादीगण का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। वाद–पत्र के पैरा नं. 1 व 2 में वर्णित वादीगण की पुश्तैनी समय से काबिज काश्त वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि ग्राम रलावता के वर्तमान नक्शे में पुराने [illegible] खसरा नम्बर 42, 43 व 45 की सीमा में खसरा नम्बरान [illegible], 169 क्षेत्रफल 0.63

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:07:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

है0 चारागाह में से वादीगण के हिस्से की नक्शे में एवं मौके पर कम पड़ रही कृषि भूमि के वादीगण के उपयोग उपभोग में कोई मजामहत पैदा नहीं करें। वादीगण की कब्जे काश्त की उक्त कृषि भूमि एवं मकानात से वादीगण को अवैद्य रूप से बेदखल नहीं करें। वादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे ना अपने एजेन्ट सर्वेन्ट आदि से करवायें। वादीगण का वाद बाबत घोषणा व दुरूस्ती विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर एकीकरण के समय राजस्व रिकार्ड में सहवन से राजस्व अधिकारियो द्वारा ग्राम रलावता के वर्तमान नक्शे में पुराने साबिक खसरा नम्बर 42, 43 व 45 की सीमा में खसरा नम्बरान 168 क्षेत्रफल 0.28 है0, 169 क्षेत्रफल 0.63 है0 चारागाह में से वादीगण के हिस्से की नक्शे में एवं मौके पर कम पड़ रही कृषि भूमि को नक्शे में गलत इन्द्राज होने के कारण नक्शा दुरुस्त किया जावे।वादीगण का वाद बाबत घोषणा व दुरूस्ती विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर मिलान क्षैत्रफल में सहवन से राजस्व अधिकारियो द्वारा ग्राम रलावता के वर्तमान नक्शे में पुराने साबिक खसरा नम्बर 42, 43 व 45 की सीमा में खसरा नम्बरान 168 क्षैत्रफल 0.28 है0, 169 क्षैत्रफल 0.63 है0 चारागाह में से वादीगण के हिस्से की नक्शे में एवं मौके पर कम पड़ रही कृषि भूमि को मिलान क्षैत्रफल में दुरुस्त करके पुराने साबिक खसरा नम्बर 42, 43 व 45 के आधार पर वर्तमान खसरा नम्बरान 167, 170, 172, 173 में दर्ज कर वादीगण की जमाबंदी में रिकॉर्ड [illegible] दर्ज कर घोषिंत किया जावे। वादीगण एवं प्रतिवादी की उक्त [illegible] कृषि भूमि का सीमाज्ञान

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:47:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

करवाकर वादीगण की जमाबंदी में एवं नक्शे में दुरुस्त किया जाकर वादीगण की उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पुराने साबिक खसरा नम्बरान 42, 43 व 45 के आधार पर वर्तमान खसरा नम्बरान 167, 170, 172, 473 में राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करके घोषित किया जावें। अन्य अनुतोष बहक वादीगण को देय हो एवं कानूनन न्यायालय उचित समझे बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी प्रदान किया जावे।

दावा वकील द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गयी व जवाब सरकार लिया गया तो तहसीलदार कोटखावदा ने जवाब सरकार मय पटवारी हल्का की रिपोर्ट के साथ साथ इस प्रकार पेश किया गया कि बिन्दु संख्या 1 राजस्व रिकार्ड के मुताबिक स्वीकार हैं। बिन्दु संख्या 2 हाल खसरा नम्बर 167, 170, 172, 173 की नक्शा शीट में दर्ज सीमाओं की पूर्व साबिक खसरा नम्बर 42, 43 व 45 भूमि एकीकरण से तुलना करने पर सीमाऐं कम कर दी गई है जबकि जमाबंदी में रकबा सही दर्ज है। बिन्दु संख्या तीन में दर्ज तथ्यों की जांच मौके पर हल्का पटवारी व भूअ. निरीक्षक ठीकरिया गूजरान द्वारा मुस्तकिल बिन्दू से सीमाओं की पैमाईस कर निर्धारित की गई तो संज्ञान में आया कि खन. 167, 170, 172, 173 की उत्तर से दक्षिण की सीमायें साबिक नक्शा भूमि एकीकरण के कम कर दी गई है। सीमाज्ञान की रिपोर्ट जवाब के साथ संलग्न है। बिन्दू संख्या 4 लगायत 7 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिन्दू संख्या 8 क,ख,ग की [illegible] मौका रिपोर्ट हाल राजस्व रिकार्ड नक्शा शीट [illegible] पूर्व राजस्व रिकार्ड भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:07:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

एकीकरण से तुलना कर भूआ. निरीक्षक व हल्का पटवारी रलावता से तैयार करवाकर प्राप्त की गई जो पत्र के साथ संलग्न है। बिन्दु संख्या 8 घ,ण,च माननीय न्यायालय से संबंधित है। अतः बिन्दूवार जवाब तैयार कर मय आवश्यक पत्रादि के श्रीमान जी की सेवामें सादर प्रेषित है।

जवाब सरकार के साथ पटवारी हल्का की रिपोर्ट निम्नानुसार है कि बिन्दु संख्या 1 रिकॉर्डेड है। बिन्दु संख्या 2 साबिक खसरा नम्बर 42, 43, 45 की सीमा नक्शा शीट अनुसार हाल खसरा नम्बर 167, 170, 172, 179 की सीमा बडी है। वर्तमान नक्शा भी साबिक नक्शा शीट की तुलना में खसरा नम्बर 167, 170, 172, 173 की सीमा कर भर दी गयी है। बिन्दु संख्या 3 साबिक नक्श शीट अनुसार खसरा नम्बर 42, 43, 45 जमाबंदी अनुसार पूरा है। जबकि हाल नक्शा शीट अनुसार खसरा नम्बर 167, 170, 172, 173 का रकबा जमबंदी की तुलना में कम है। बिन्दु संख्या 8 (1) ग्राम रलावता के साबिक नक्शाशीट अनुसार खसरा नम्बर 45 का उत्तरी पश्चिमी कोना सबिक खसरा नम्बर 157 गै0 मु0 चाह से 542 मीटर दूरी पर हैजबकि हाल नक्शा शीट अनुसार खसरा नम्बर 564 खसरा नम्बर 173 का उत्तरी पश्चिमी कोना 530 मीटर दूर है उसमें साबिक नक्शा शीट व हाल नक्शा शीट में 12 मीटर का अन्तर है को दुरूस्ती योग्य है।

(2) साबिक नक्शा शीट में साबिक खसरा नम्बर 157 गै0 मु0 चाह से खसरा नम्बर 43 व 45 का उत्तरी [illegible] 544 मीटर दूर है तथा हाल नक्शा शीट से खसरा नम्बर 564 [illegible] चाह से खसरा नम्बर 170

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:07:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

व 172 द्वारा उत्तरी कोना 536 मीटर दूर है। इस प्रकार साबिक नक्शा शीट में 8 मीटर का अन्तर होने से दुरूस्ती योग्य है।

(3) साबिक नक्शा शीट अनुसार साबिक खसरा नम्बर 42 का उत्तरी पूर्वी कोना साबिक खसरा नम्बर 157 गै0 मु0 चाह से 574 मीटर दूर है जबकि हाल नक्शा शीट अनुसार खसरा नम्बर 564 गै0मु0 चाह से खसरा नम्बर 167 का उत्तरी पूर्वी कोना 564 मीटर ही दूर है। इसमें साबिक नक्शा शीट व हाल नक्शा शीट में 10 मीटर का अन्तर होने से दुरूस्ती योग्य है। साबिक नक्शा शीट में साबिक खसरा नम्बर 42, 43 का उत्तरी कोना खसरा नम्बर 157 गै0 मु0 चाह में 560 मीटर व हाल नक्शा शीट से खसरा नम्बर 564 गै0 मु0 चाह से खसरा नम्बर 167 व 170 का उत्तरी कोना 556 मीटर ही दूर है इस प्रकार साबिक नक्शा शीट व हाल नक्शा शीट में अन्तर होने से दुरूस्ती योग्य हैं।

(4) साबिक नक्शा शीट अनुसार साबिक खसरा नम्बर 45 की पूर्वी सीमा 132 मीटर व पश्चिमी सीमा भी 132 मीटर है जबकि हाल नक्शा शीट अनुसार खसरा नम्बर 172 की पूर्वी सीमा 124 मीटर तथा खसरा नम्बर 173 की पश्चिमी सीमा 120 मीटर दर्ज की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार साबिक नक्शा शीट व हाल नक्शा शीट में अन्तर को दुरूस्त किये जाने पर वादी के खसरा नम्बरान का रकबा भी दुरूस्त होकर रकबा पूर्व हो सकेगा। बिन्दुवार रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:07:33 IST
Reason: SelfAttested

जवाब सरका[illegible]टवारी हल्का के प्राप्त होने पर बहस दावा वकील [illegible] वकील ने दावे का

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

समर्थन करते हुये कथन किया कि तहसीलदार के जवाब सरकार अनुसार प्रार्थी वादी का नक्शा दुरूस्त किया जाने के आदेश दिये जावे। वादी ने दावे के समर्थन में ग्राम रलावता की नक्शा ट्रेस, ग्रम रलावता की जमाबंदी संख्या 2072–75 खाता संख्या 3 मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी सम्वत 2028–30, 2031–31, 2072–75 के दस्तावेज बतौर सबूत पेश किये गये।

वकील वादी की बहस का मनन किया व दावा जवाब सरकार रिपोर्ट पटवारी हल्का व प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो ग्राम रलावता की जमाबंदी खाता संख्या 3 नया 16 में कृषि भूमि कुल 58 रकबा 12.75 है0 जिसमें से खसरा नम्बर 167 रकबा 0.88 है0, 170 रकबा 0.34 है0 172 रकबा 0.70 है0 173 रकबा 0.18 है0 वादीगण की उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है। वादीगण जमाबंदी अनुसार रिकार्डेड खातेदार दर्ज है। जिसमे से खसरा नम्बर 167, 170, 172, 173 के पुराने साबिक खसरा नम्बर 42, 43, व 45 है जो मुख्य ग्राम रलावता के नक्शे में पुराने साबिक खसरा नमबर 42, 43, व 45 की सीमा में खसरा नम्बर 168 रकबा 0.28 है 169 रकबा 0.63 है0 चारागाह में दर्शित कर दिया जबकि खसरा नम्बर 167 रकबा 0.88 है0, 170 रकबा 0.34 है0 172 रकबा 0.70 है0 व 173 रकबा 0.18 है0 के पुरान साबिक खसरा नम्बर 42, 43 व 45 है जो वादीगण के हिस्से की कृषि भूमि नक्शे व मौके पर कम पड रही है जो नक्शे में गलत होने के कारण वादीगण नक्शा [illegible] किये जाने योग्य है मिलान क्षेत्रफल में सहवन [illegible] द्वारा ग्राम रलावता के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:07:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वर्तमान नक्शे में साबिक खसरा नम्बर 42, 43, 45 की सीमा में खसरा नम्बर 168 रकबा 0.28 , 169 रकबा 0.63 चारागाह को दर्शित कर प्रतिवादी की जमाबंदी में दर्ज कर दिया रिपोर्ट पटवारी व जवाब सरकार अनुसार साबिक खसरा नम्बर 42, 43, 45 की सीमा नक्शा शीट अनुसार हाल खसरा नम्बर 167, 170, 172, 173 की सीमा से बडी है वर्तमान साबिक नक्शा शीट की तुलना में खसरा नम्बर 167, 170, 172, 173 की सीमा कम कर दी गयी जो साबिक नक्शा शीट अनुसार खसरा नंबर 42, 43, 45 का हाल जमाबंदी अनुसार पूरा है जबकि हाल नक्शा शीट अनुसार खसरा नम्बर 170, 172 173 का रकबा जमाबंदी की तुलना में कम है, ग्राम रलावता के साबिक नक्शा शीट अनुसार खसरा नम्बर 45 का उत्तरी पश्चिमी कोना साबिक खसरा नम्बर 157 गे0मु0 चाह से 542 मीटर दूरी पर है जबकि हाल नक्शा शीट अनुसार खसरा नम्बर 564 से 173 का उत्तरी पश्चिमी कोना 530 ही दूर है साबिक नक्शा शीट हाल नक्शा शीट में 12 मीटर का अन्तर है। साबिक नक्शा शीट में साबिक खसरा नम्बर 157 गै0मु0 चाह से खसरा नम्बर 43 व 45 का उत्तरी कोना 544 मीटर दूर है, तथा हाल नक्शा शीट से खसरा नम्बर 564 गै0 मु0 चाह खसरा नम्बर 170 व 172 द्वारा उत्तरी कोना 536 मीटर दूर है इस प्रकार साबिक नक्शा शीट व हाल खसरा नम्बर 42 का उत्तरी पूर्वी कोना साबिक खसरा नम्बर 157 गे0 मु0 चाह से 574 मीटर दूर है जबकि हाल नक्शा शीट अनुसार खसरा [illegible]64 गै0 मु0 चाह से खसरा नम्बर 167 का उत्तरी पूर्वी कोना 564 [illegible] ही दूर है। इसमें साबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:07:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

नक्शा शीट व हाल नक्शा शीट में 10 मीटर का अन्तर है। साबिक खसरा नम्बर 42, 43 का उत्तरी कोना खसरा नम्बर 157 गै0 मु0 चाह से खसरा नम्बर 167 व 170 का उत्तरी कोना 556 मीटर ही दूर है इस प्रकार साबिक नक्शा शीट व हाल नक्शा शीट में अन्तर है। साबिक नक्शा शीट अनुसार साबिक खसरा नम्बर 45 की पूर्वी सीमा 132 मीटर व पश्चिमी सीमा 124 मीटर तथा खसरा नम्बर 173 की पश्चिम सीमा 120 मीटर दर्ज की गयी है इस प्रकार साबिक नक्शा शीट व हाल नक्शा शीट के अन्तर को दुरूस्त किये जाने पर वादी के खसरा नम्बरान का रकबा भी दुरूस्त होकर रकबा पूर्ण हो सकेगा। इस प्रकार तहसीलदार के जबवा व पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार वादी का दावा स्वीकार योग्य से दावा डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः दावा वादी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब व रिपोर्ट पटवारी के अनुसार विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम रलावता के खाता संख्या पुराना 3 नया 16 में सम्पूर्ण कृषि भूमि किता 58 रकबा 12.75 है0 जिसमें से खसरा नम्बर 167 रकबा 0.88 है0 170 रकबा 0.34 है0 172 रकबा 0.70 है0 173 रकबा 0.18 है0 वादीगण काबिज काश्त आराजीयात में वर्तमान नक्शें में पुराने साबिक खसरा नम्बर 42, 43, 45 की सीमा में खसरा नम्बर 168 रकबा 0.28 है0 169 रकबा 0.63 है0 चारागाह में से वादीगण के हिस्से की नक्शे एवं मौके पर कम पड़ रही भूमि के वादीगण के उपयोग उपभोग मे मजाहमत पेदा नही करे व वादीगण के कब्जे काश्त एवं मकानात से वादीगण को आम रूप से बेदखल नही करें

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:07:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

एवं एकीकरण के समय वर्तमान नक्शे में पुराने साबिक खसरा नम्बर 42, 43, व 45 की सीमा में खसरा नम्बर 168 रकबा 0.28 है0 169 रकबा 0.63 है0 चारागाह में से वादीगण के हिस्से की नक्शे में एवं मौके पर कम पड रही कृषि भूमि को नक्शे में गलत इन्द्राज को रिपोर्ट पटवारी हल्का व जवाब सरकार अनुसार दुरूस्त किया जावे व मिलान क्षेत्रफल में सहवन से ग्प्रम रलावता के वर्तमान नक्शे में पुराने खसरा नम्बर 42, 43 व 45 की सीमा में खसरा नम्बर 168 रकबा 0.28 है0 169 रकबा 0.63 है0 चारागाह में से वादीगण के हिस्से की नक्शे में एवं मौके पर कम पड रही कृषि भूमि को नक्शे में गलत इन्द्राज की रिपोर्ट पटवारी हल्का एव जवाब सरकार अनुसार दुरूस्त किया जावे व मिलान क्षेत्रफल में सहवन से ग्राम रलावता के वर्तमान नक्शे में पुराने खसरा नम्बर 42, 43 व 45 की सीमा में खसरा नम्बर 168 रकबा 0.28 है0 169 रकबा 0.63 है0 चारागाह में वादीगण के हिस्से को नक्शे में एवं मौके पर कम पड रही कृषि भूमि को मिलान क्षेत्रफल में दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाकर खसरा नम्बर 42, 43, व 45 के आधार पर वर्तमान खसरा नम्बर 167, 170, 172, 173 में दर्ज कर रिपोर्ट पटवारी जवाब सरकार अनुसार वादीगण की जमाबंदी में खातेदार दज किये जाने के आदेश दिये जाते है व वादी की उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमी का सीमाज्ञान किया जाकर वादीगण के नक्शे में दुरूस्त किया जाकर वादीगण की उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पुराने साबिक खसरा नम्बर 42, 43 व [illegible] आधार पर वर्तमान खसरा नम्बर 167, \70, 172, 173 में राजस्व [illegible] में दुरूस्त किया जावे व

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:07:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो निर्णय व डिक्री का रिपोर्ट पटवारी हल्का की जू0 जू0 रहेगी। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:07:33 IST
Reason: SelfAttested